न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

<u>स्वत्व विभाजन वाद सं0–66/2020</u>

18-11-2022 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। प्रस्तुत अधिकार वाद में वादी के द्वारा दिनांक–15.11.2022 अंतर्गत आदेश 22, नियम 4 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में आवेदन दाखिल किया गया है तथा आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रतिवादी सं0–5 संध्या रानी की मृत्यु 08.09.2021 को हो चुकी है और उनके सभी विधिक वारिसान पूर्व से ही इस वाद में पक्षकार के रूप में हैं। अतः मृतका संध्या रानी के नाम को इस वाद से विलोपित करने की कृपा की जाय।

वादी के आवेदन को सुना। अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–15.11.2022 अंतर्गत आदेश 22, नियम 4 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। साथ–ही प्रतिवादी पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार प्रतिवादी सं0–5 के नाम को विलोपित करें। वाद दिनांक– वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

Sd/-

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी